छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 758/2007</u>

1. **श्री राजेश बिस्सा,** - *शिकायतकर्ता*
21, सेन्ट्रल ऐवेन्यू (वेस्ट),
चौबे कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *अनावेदक*
कार्यालय नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट अॅथारिटी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 12 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राजेश बिस्सा ने दिनांक 23.10.2007 को आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की कि उन्होंने नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट अॅथारिटी के साथ बनाये गये नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रा0लि0 में सूचना का अधिकार लागू किया जावे तथा उन्हें जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिया जावे । प्रमाण स्वरूप उन्होंने नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट अॅथारिटी से नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रा0लि0 को पचास लाख रूपये भुगतान की नोटशीट और वाउचर की प्रतिलिपि भी संलग्न की है । इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट अॅथारिटी से प्रतिवेदन चाहा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें राज्य शासन से कोई अनुदान अथवा अंशदान प्राप्त नही हुआ है और नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट अथारिटी के अधिकारी की विभागीय टीप भी प्रस्तुत की है । प्रकरण में बाद में दिनांक 03.05.2008 को सुनवाई के लिए उभय पक्ष को बुलाया गया था, किन्तु शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे, अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अनावेदक की सुनवाई की गई । अनावेदक द्वारा सुनवाई में विभागीय टीप प्रस्तुत की, जिसमें यह उल्लेख है कि नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रा0लि0 को नया रायपुर डेव्हलपमेंट अॅथारिटी की ओर से जो राशि दी जा रही है, वह अनुदान के रूप में न होकर ऋण के रूप में है । चूंकि शिकायतकर्ता इस संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नही हुये और बाद में आयोग के निर्देशानुसार लोक सूचना अधिकारी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा 09 पत्र जो शिकायतकर्ता से प्राप्त हुये थे, उससे संबंधित जानकारी उन्हें दिनांक 15.10.2007 से लेकर

29.10.2008 की अवधि में पूर्ण रूप से प्रदान करा दी गई है । इससे प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी कुछ भी छिपाना नही चाहते हैं और उनके द्वारा आवश्यक जानकारी शिकायतकर्ता को दे दी गई है, अतः ऐसी स्थिति में नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रा0लि0 में जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है और शिकायतकर्ता जो भी इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, वह नया रायपुर डेव्हलपमेंट अॅथारिटी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पूर्व में प्राप्त की है ।

3/ अतः उपरोक्त शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त